जनपद–संत कबीर नगर

लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का अधिकारी अधिनियम–2005 की धारा 4 (1) (बी) के अन्तर्गत 17 श्रेणियों की सूचनाये जिला निर्वाचन कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।

क्र0 सं0	बिन्दु	उत्तर
(i)	अपने संगठन की विशिष्टयां कृत्य और कर्तव्य	मतदाता सूची/मतदाता फोटो पहचान–पत्र की तैयारी एवं निर्वाचनों कों सुचारू रूप से सम्पन्न कराये जाने का कार्य।
(ii)	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	उच्च अधिकारियों द्वारा सौपे गये कार्यो को ससमय कार्यालय में उपस्थित रहकर कार्य को सम्पादित किया जाना।
(iii)	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	कार्यों का पर्यवेक्षण सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाता है।
(iv)	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वंय द्वारा स्थापित मापमान	कार्यालय में प्रातः 10–00 बजे से सायं 5–00 बजें तक उपस्थित रहकर कार्यो का सम्पादन करना तथा आमजन द्वारा चाही गई जानकारी/सूचना को ससमय उपलब्ध कराया जाना है।
(v)	अपने द्वारा या अपने नियत्रंणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में नियम विनियम अनुदेश निर्देशिका और अभिलेखो को ध्यान में रखकर कार्यो का सम्पादन किया जाना।
(vi)	ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गो का विवरण	निर्वाचक नामावली मतदेय स्थल एवं मतदाता फोटो पहचान–पत्र
(vii)	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।	निर्वाचक नामावली मतदेय स्थल एवं मतदाता फोटो पहचान–पत्र आदि के संबंध में राजनैतिकदल/आमजन से परामर्श लिया जाता है।
(viii)	ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डो परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठक जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी विवरण	निर्वाचन विभाग से संबंधित नही है।
(ix)	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	पृथक रूप से निर्देशिका नही निर्गत की गई है।
(x)	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो	जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी एवं समस्त कर्मचारियों पर मासिक पारिश्रमिक (वेतन आदि पर) रूपयें–2,33516–00 मात्र की धनराशि व्यय होती है
(xi)	सभी योजनाओं, प्रस्सावित व्ययों और किए गए संविवरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण का आंवटित बजट	कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ से संबंधित है।